

आदेश

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामपाल, पंच, ग्राम पंचायत तारनवाला, वार्ड नं०. 05, खण्ड छछरौली, जिला यमुनानगर द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 19.05.2025 जो उपायुक्त, यमुनानगर के सिफारिश पत्र क्रमांक/3419/पंचायत पी0सी0-3 दिनांक 04.06.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
24-06-2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई0ए0एस0
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई0सी0ए02-2025/ 30321-27 दिनांक : 11/7/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, यमुनानगर को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक/3419/पंचायत पी0सी0-3 दिनांक 04.06.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली (जिला यमुनानगर)।
5. संरपच, ग्राम पंचायत तारनवाला, खण्ड छछरौली, जिला यमुनानगर।
6. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामपाल निवासी गांव तारनवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर।
7. आई0टी0 सैल, मुख्यालय।

Prakash
सहायक निदेशक

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Sh. Govind/Sh. Mohit